



- 1-

तटस्थ उद्घरण
2021:सीजीएचसी: 7477

एफआर

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,

एस.ए. नंबर 167/2008

दिनांक 01/03/2021 को आरक्षित

निर्णय दिनांक 23/03/2021

1. भारतीय जीवन बीमा निगम,
मंडल प्रबंधक, शहडोल संभाग,
आहूजा मार्केट बुधर रोड शहडोल,
जिला शहडोल, मध्य प्रदेश के माध्यम से।

2. प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम,
शाखा कार्यालय चिरमिरी,
तहसील - मनेद्रगढ़, जिला - कोरिया सी.जी.

----- अपीलकर्ता

//बनाम//

1. राजकुमार पुत्र विश्वनाथ विश्वकर्मा,
उम्र लगभग 21 वर्ष,
निवास कोरिया कोलियरी,
स्कूल दफाई पोस्ट ऑफिस कोरिया कोलियरी,
जिला कोरिया, छत्तीसगढ़।

2. विनेश्वर कुमार पुत्र श्री रूदन राम पड़वार,
एल.आई.सी. एजेंट, चौकी दफाई कोरिया कोलियरी,
पुलिस स्टेशन - चिरमिरी, जिला - कोरिया सी.जी.

----- प्रतिवादीगण



तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री एच.बी. अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ वकील
श्री जी.वी.के. राव, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से: श्री सचिन सिंह राजपूत,
अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से: श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता।

एकल पीठ:माननीय श्री संजय एस. अग्रवाल न्यायाधिपति

सीएव्ही आर्डर/निर्णय

1. यह अपील प्रतिवादी/भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे निगम कहा जाएगा) द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़, कोरिया (छ.ग.) द्वारा सिविल अपील संख्या 30-ए/2007 में पारित दिनांक 18.01.2008 के निर्णय और डिक्री की वैधता और औचित्य पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके तहत निचली अपीलीय अदालत ने सिविल वाद संख्या 3 ए/2005 में सिविल न्यायाधीश, वर्ग 1, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 23.07.2007 के निर्णय और डिक्री को अपास्त करते हुए वादी के दावे पर निर्णय सुनाया है।



तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी की पूर्ववर्ती श्रीमती गिरिजादेवी ने 28.03.2001 को 50,000/- रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी और अपने बेटे वादी राजकुमार को अपना नामांकित व्यक्ति नामित किया था। 23.03.2003 को श्रीमती गिरिजादेवी की मृत्यु के बाद उनके बेटे ने उक्त पॉलिसी का लाभ प्राप्त करने के लिए निगम के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया, जिससे यह घोषणा करने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया कि वह उक्त पॉलिसी का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। वादी के अनुसार 28.12.2002 तक देय प्रीमियम राशि की तीसरी किस्त निगम के एजेंट प्रतिवादी संख्या 3 विनेश्वर कुमार ने 12.01.2003 को अपनी मां श्रीमती से प्राप्त की थी। गिरिजादेवी ने इसे प्राप्त करने के बाद 29.03.2003 को निगम में जमा कर दिया था। इसलिए, अपनी मां के नामांकित व्यक्ति होने के नाते, वह इसका लाभ उठाने का हकदार है, हालांकि निगम ने इस आधार पर इनकार कर दिया कि 28.12.2002 तक देय उक्त पॉलिसी की तीसरी किस्त 30 दिनों की छूट अवधि के भीतर भुगतान नहीं की गई थी, इस प्रकार, पॉलिसी समाप्त हो गई है। इसलिए, वादी को तत्काल प्रकृति में मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।





तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

3. उपर्युक्त दावे का विरोध करते हुए निगम द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि उक्त पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम राशि की तीसरी किस्त का भुगतान न तो किया गया और न ही पॉलिसी धारक श्रीमती गिरिजादेवी के जीवनकाल में पॉलिसी की शर्तों के अंतर्गत उसका नवीनीकरण कराया गया, इसलिए कथित पॉलिसी समाप्त हो गई है। जबकि निगम के एजेंट प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने लिखित कथन में तर्क दिया कि प्रीमियम राशि एकत्र करने के बाद उसने उसे निगम में जमा कर दिया और उसके बाद रसीद वादी को दे दी गई है।

4. पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि दिनांक 28.12.2002 तक देय प्रीमियम राशि की तीसरी किस्त पॉलिसी धारक श्रीमती गिरिजादेवी द्वारा 30 दिन की छूट अवधि के भीतर जमा नहीं की गई थी और न ही उनके जीवनकाल में इसका नवीनीकरण कराया गया था। परिणामस्वरूप, कथित पॉलिसी समाप्त हो गई है और इस प्रकार दिनांक 23.07.2007 के निर्णय और डिक्री द्वारा दावे को अस्वीकार कर दिया गया है।



तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

5. वादी द्वारा प्रस्तुत अपील में विचारण न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और डिक्री को अपीलीय न्यायालय द्वारा यह पाते हुए उलट दिया गया है कि निगम के एजेंट ने पॉलिसी धारक श्रीमती गिरिजादेवी से दिनांक 28.12.2002 तक देय प्रीमियम राशि रु. 1,112/- वसूलने के पश्चात उसे दिनांक 29.03.2003 को निगम में जमा कर दिया था। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि पॉलिसी धारक ने पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है और न ही कथित पॉलिसी को उसकी मृत्यु के कारण समाप्त माना जा सकता है। परिणामस्वरूप, वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया गया है।

6. व्यथित होकर, निगम ने यह अपील प्रस्तुत की है, जिसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर दिनांक 01.09.2008 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया है:-

“क्या बीमाधारक की मृत्यु के बाद बीमाकर्ता के एजेंट को प्रीमियम का भुगतान, पॉलिसी के तहत बीमित राशि का भुगतान करने के लिए बीमाकर्ता के खिलाफ कानूनी दायित्व बनता है? ”

7. अपीलकर्ताओं/निगम की ओर से श्री जी.वी.के. राव के साथ उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल ने पॉलिसी की



तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

शर्तों संख्या 2 और 3 का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि 28.12.2002 तक देय प्रीमियम राशि की तीसरी किस्त श्रीमती गिरिजादेवी द्वारा 30 दिनों की छूट अवधि के भीतर भी नहीं चुकाई गई थी, इसलिए कथित पॉलिसी समाप्त हो गई है और उक्त पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद इसे नवीनीकृत नहीं माना जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि निगम का एजेंट पॉलिसी धारक से प्रीमियम राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए निगम उक्त एजेंट के कृत्य से बाध्य नहीं है। समर्थन में, उन्होंने हर्षद जे. शाह और अन्य बनाम एल.आई.सी. ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय प्रस्तुत किया, जो (1997) 5 एससीसी 64 में रिपोर्ट किया गया था और, बहस के दौरान, उन्होंने 19.01.2021 को सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे कि उनके एजेंट की नियुक्ति आदेश की फोटोकॉपी अनुलग्नक 'ए' के रूप में प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, ताकि यह दिखाया जा सके कि उन्हें पॉलिसी धारक से राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सचिन सिंह राजपूत ने दलील दी कि उक्त एजेंट की



तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

नियुक्ति आदेश जारी न किए जाने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उसे निगम की ओर से उक्त पॉलिसी धारक अर्थात् श्रीमती गिरिजादेवी से प्रीमियम राशि वसूलने से रोका गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि उक्त एजेंट ने इस तरह कार्य करते हुए न केवल उक्त पॉलिसी धारक से प्रीमियम राशि वसूल की है, बल्कि उसे निगम में जमा भी कर दिया है। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, निगम अपने दायित्व से बच नहीं सकता है और इस प्रकार, वह अपने एजेंट के कथित कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा और उसने दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाइ अंडरटेकिंग बनाम बसंती देवी और अन्य (1999) 8 एससीसी 229 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय प्रस्तुत किया है। सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त आवेदन के जवाब में, यह कहा गया था कि यह कमी को पूरा करने के लिए दायर किया गया है और वह भी बिना कारण बताए कि इसे विचारण न्यायालयों के समक्ष क्यों नहीं दायर किया गया था और आगे तर्क दिया कि प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज न तो मूल है और न ही पठनीय है, इसलिए इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।



तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

10. सबसे पहले, मैं निगम द्वारा सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत दायर किए गए आवेदन पर विचार करना चाहूंगा, जिसमें कथित दस्तावेज को अभिलेख पर प्रस्तुत करने की मांग की गई है।

11. उपर्युक्त आवेदन के मात्र अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता-निगम ने कथित दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की थी, जो न केवल एक फोटोकॉपी था, बल्कि इसे बिना कोई कारण बताए

भी अभिलेख पर प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। हालांकि, उक्त प्रावधान के तहत, यह तथ्य स्थापित करना उसके लिए आवश्यक था कि कथित दस्तावेज को पहले के अवसर पर विचारण न्यायालय के

समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और इतने लंबे समय के बाद इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। हालांकि, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील के पक्षकार को तब तक अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि वह अपीलीय न्यायालय को यह संतुष्टि प्रदान न कर दे कि उचित प्रयास के बावजूद इसे पहले

प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जैसा कि के.आर. मोहन रेड्डी बनाम नेटवर्क इंक. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एमडी के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया (2007) 14 एससीसी 257 में रिपोर्ट किया। फिर

प्रतिनिधित्व किया (2007) 14 एससीसी 257 में रिपोर्ट किया। फिर



तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

भी सतीश कुमार गुप्ता आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आदि के मामले में एआईआर 2017 एससी 1072 में रिपोर्ट किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 20 में उक्त प्रावधान का उल्लेख करते हुए निम्नानुसार अवलोकन किया:-

“20. यह स्पष्ट है कि न तो विचारण न्यायालय ने साक्ष्य प्राप्त करने से इनकार किया है और न ही यह कहा जा सकता है कि पेश किए जाने वाले साक्ष्य उचित प्रयास के बावजूद उपलब्ध नहीं थे और न ही निर्णय सुनाने के लिए इसे आवश्यक माना जा सकता है। मामले में कमियों की पूर्ति या कमजोर बिंदुओं को ठीक करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जा सकती। इन परिस्थितियों में रिमांड का कोई आधार नहीं था।”

12. उपर्युक्त सिद्धांतों के मद्देनजर तथा पर्याप्त कारण न बताए जाने की स्थिति में, मैं इस आवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं, जिससे अपीलकर्ता को इस स्तर पर उक्त कमी को पूरा करने की अनुमति मिल सके। उक्त आवेदन तदनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

13. निर्विवाद रूप से, वादी की मां श्रीमती गिरिजादेवी ने 28.03.2001 को विनेश्वर कुमार, जो निगम के एजेंट थे, के माध्यम





तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

से उसमें निर्धारित शर्तों के अंतर्गत 50,000/- रुपए की पॉलिसी संख्या 377594624 ली थी। 28.12.2002 को देय 1,112/- रुपए की तीसरी प्रीमियम राशि 30 दिनों की निर्धारित छूट अवधि के भीतर जमा नहीं की गई, यद्यपि इसे वादी की मां, पॉलिसी धारक से उक्त एजेंट द्वारा 12.01.2003 को एकत्र कर लिया गया था। हालांकि, इसे बाद में 30 दिनों की निर्धारित छूट अवधि के बाद और श्रीमती गिरिजादेवी की मृत्यु के बाद 29.03.2003 को निगम के पास जमा किया गया था, जिनकी मृत्यु 23.03.2003 को हुई थी। इस प्रकार, प्रीमियम की उक्त राशि का न तो समय पर भुगतान किया गया और न ही कथित पॉलिसी की शर्तों के अनुसार इसका नवीनीकरण किया गया।

14. कथित पॉलिसी की शर्तें 2 और 3 इस उद्देश्य से उल्लेख करना आवश्यक हैं, जो इस प्रकार हैं: -

"2. यदि प्रीमियम का भुगतान छूट अवधि की समाप्ति से पहले नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाती है। यदि पॉलिसी समाप्त नहीं हुई है और पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु की स्थिति में दावा स्वीकार किया जाता है, जहां प्रीमियम के भुगतान की तारीख वार्षिक के अलावा अन्य है, तो अगली



तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

पॉलिसी वर्षगांठ से पहले देय होने वाले अवैतनिक प्रीमियम, यदि कोई हों, तो उन्हें दावे की राशि से काट लिया जाएगा।"

"3. बंद पॉलिसियों का पुनरुद्धार: यदि पॉलिसी समाप्त हो गई है। इसे बीमित व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन पहले अवैतनिक प्रीमियम की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर और परिपक्वता तिथि से पहले, निगम की संतुष्टि के लिए निरंतर बीमा योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने और प्रीमियम के सभी बकाया का भुगतान निगम द्वारा समय-समय पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ किया जा सकता है। निगम बंद पॉलिसी के पुनरुद्धार को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद पॉलिसी का पुनरुद्धार तभी प्रभावी होगा जब निगम द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाएगी और बीमित व्यक्ति को विशेष रूप से सूचित कर दिया जाएगा।

15. यहाँ ऊपर वर्णित शर्त 2 के अनुसार छूट अवधि 30 दिन है, तथा शर्त 3 में यह प्रावधान है कि यदि पॉलिसी समाप्त हो गई है, तो पॉलिसी धारक के जीवनकाल में इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि बंद पॉलिसी का पुनरुद्धार निगम द्वारा





तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

अनुमोदन के पश्चात तथा पॉलिसी धारक को इसकी उचित सूचना दिए जाने के पश्चात ही प्रभावी होगा।

16. यह सत्य है कि उपरोक्त शर्तों के मद्देनजर, कथित प्रीमियम राशि का भुगतान 28.01.2003 तक किया जाना अपेक्षित था, क्योंकि यह 28.12.2002 को देय थी। तथापि, अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि यह राशि निगम के उक्त अभिकर्ता को

12.01.2003 को भुगतान की गई थी तथा जिसे उसके द्वारा निगम में जमा भी कर दिया गया था। कथित पॉलिसी (एक्स.डी.3) 28.03.2001 को प्रस्ताव संख्या 7837 के आधार पर जारी की गई

थी, जिसे एजेंट श्री विनेश्वर कुमार ने भरा था, जैसा कि इसके प्रस्ताव फॉर्म से पता चलता है, जिसे एक्स.डी.2 के रूप में चिह्नित किया गया है। एक्स.डी.5 प्रीमियम का विवरण है पॉलिसी धारक द्वारा भुगतान की गई राशि और इसके मात्र अवलोकन से पता चलता है कि उक्त प्रस्ताव प्रपत्र जारी करने की तिथि से, उक्त पॉलिसी धारक द्वारा 30.11.2002 तक नियमित रूप से प्रीमियम राशि का भुगतान किया गया था और यहां तक कि 29.03.2003 को निगम को अपने एजेंट विनेश्वर कुमार के माध्यम से 1,137/- रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान किया गया था, जिसने उक्त पॉलिसी धारक से 12.01.2003





तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

को प्रीमियम राशि एकत्र की थी। इसलिए, यह प्रतीत होता है कि सभी महत्वपूर्ण समयों में, प्रीमियम राशि न केवल उक्त एजेंट द्वारा एकत्र की गई थी, बल्कि निगम के पास जमा भी की गई थी। इसके मद्देनजर, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह उक्त पॉलिसी धारक से प्रीमियम राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं था, जैसा कि निगम के वकील ने आरोप लगाया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर रखे गए किसी भी आदेश की अनुपस्थिति में, यह नहीं माना जा सकता है कि वह निगम की ओर से इस तरह कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं था।

17. इस समय यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) विनियम, 1972 के नाम से ज्ञात विनियमों के कुछ प्रावधान, जिनका वैधानिक प्रभाव निगम द्वारा जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1936 की धारा 49 के अंतर्गत उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से तैयार किया गया है, निम्नलिखित हैं:-

17 (i). विनियमन 3(1)(बी) में "एजेंट" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

3. परिभाषाएँ:



तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी:7477

(1) XXXX XXXX XXXX XXXX

(ए) XXXX XXXX XXXX XXXX

(बी) "एजेंट" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे इन विनियमों के विनियमन 4 के तहत नियुक्त किया गया है और इसमें अवशोषित एजेंट भी शामिल है;

(सी) XXXX XXXX XXXX XXXX

17(ii). विनियमन (4) एजेंटों की नियुक्ति और उप-खंड प्रदान करता है

(2) जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:-

4. एजेंटों की नियुक्ति:

(1) XXXX XXXX XXXX XXXX

(2) सभी नियुक्तियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने और उनकी उपयुक्तता के बारे में संतुष्ट होने के बाद की जाएँगी।

(3) XXXX XXXX XXXX XXXX

(4) XXXX XXXX XXXX XXXX

17(iii). एजेंटों के कार्य विनियमन 8 के अंतर्गत दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

8. एजेंटों के कार्य:





तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

(1) प्रत्येक एजेंट नए जीवन बीमा व्यवसाय की मांग करेगा और उसे प्राप्त करेगा, जो इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम से कम नहीं होगा और पहले से सुरक्षित व्यवसाय को संरक्षित करने का प्रयास करेगा।

(2) नए जीवन बीमा व्यवसाय की खरीद में, एक एजेंट को:

(ए) जीवन बीमा के लिए प्रस्तावकों की जरूरतों और प्रीमियम का भुगतान करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए;

(बी) स्वीकृति के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करने से पहले बीमित किए जाने वाले जीवन के संबंध में सभी उचित पूछताछ करनी चाहिए, और निगम के ध्यान में ऐसी कोई भी परिस्थिति लानी चाहिए जो जोखिम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है;

(सी) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए कि पॉलिसी के प्रारंभ में बीमित व्यक्ति की आयु को स्वीकार किया गया है; और

(घ) किसी अन्य एजेंट द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(3) प्रत्येक एजेंट, पहले से सुरक्षित व्यवसाय को बनाए रखने की दृष्टि से, उन सभी व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखेगा जो उसके माध्यम से निगम के पॉलिसीधारक बन गए हैं और:





तटस्थ उद्धरण

2021: सीजीएचसी: 7477

(क) प्रत्येक पॉलिसीधारक को उसकी पॉलिसी के संबंध में नामांकन या असाइनमेंट करने की सलाह देगा और इस संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि प्रीमियम की प्रत्येक किस्त पॉलिसीधारक द्वारा निगम को निर्धारित अवधि के भीतर जमा कर दी जाए। अनुग्रह;

(ग) किसी पॉलिसी को समाप्त होने या उसे चुकता पॉलिसी में बदलने से रोकने का प्रयास करना; और

(घ) दावा प्रपत्र भरने में दावेदारों को सभी उचित सहायता प्रदान करना तथा दावों के निपटान के संबंध में निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

(4) इन विनियमों में निहित किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी एजेंट को निगम के लिए या उसकी ओर से कोई धनराशि एकत्रित करने या कोई जोखिम स्वीकार करने या निगम को किसी भी तरह से बाध्य करने का अधिकार दिया गया है:

बशर्ते कि किसी एजेंट को निगम द्वारा ऐसी शर्तों पर पॉलिसियों के अंतर्गत नवीकरण प्रीमियम एकत्रित करने और भेजने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

18. उपर्युक्त खंड (4) के मात्र अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि, एजेंटों को निगम के लिए या उसकी ओर से कोई धन एकत्र करने या कोई जोखिम स्वीकार करने या निगम को किसी भी तरह से बाध्य





तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, लेकिन इसके प्रावधान खंड के मात्र अवलोकन से यह पता चलता है कि निगम अपने एजेंटों को ऐसी शर्तों के तहत पॉलिसियों के तहत नवीकरण प्रीमियम एकत्र करने और भेजने के लिए अधिकृत कर सकता है, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

19. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि सभी महत्वपूर्ण समयों में, जैसा कि ऊपर पाया गया है, श्री विनेश्वर कुमार ने निगम के एजेंट के रूप में कार्य किया है। इसलिए, निगम के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि वह किसी भी तरह से उक्त पॉलिसी धारक से प्रीमियम राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं था, जैसा कि उसने 12.01.2003 को उसकी नियुक्ति का आदेश देकर एकत्र किया था, जिसे उक्त विनियमन, 1972 के विनियमन संख्या 4 के तहत जारी किया जाना आवश्यक था। इसे प्रस्तुत करने में विफल होने के बाद, यह मानना मुश्किल है कि वह निगम की ओर से अपने पॉलिसी धारकों से प्रीमियम राशि एकत्र करने के लिए किसी भी तरह से अधिकृत या निषिद्ध नहीं था। इसके विपरीत, यह पता चलता है कि प्रीमियम राशि एकत्रित करने के पश्चात्, इसे उसके द्वारा निगम में 29.03.2003 को



तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

जमा कर दिया गया, जैसा कि प्रीमियम राशि के विवरण से प्रमाणित होता है, जो कि Ex.D.5 के रूप में अंकित है।

20. इस समय, दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम बनाम बसंती देवी एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का अवलोकन किया जाना चाहिए, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 12 एवं 14 में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है:-

“12. धारा 182 में एजेंट का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने के लिए या तीसरे व्यक्ति के साथ लेन-देन में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित हो और जिस व्यक्ति के लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। धारा 185 के तहत एजेंसी बनाने के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है। जहां तक भीम सिंह का सवाल है, उस पर एलआईसी को सीधे प्रीमियम का भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं थी। एलआईसी और डीईएसयू के बीच हुए समझौते के तहत प्रीमियम डीईएसयू को देय था, जिसे हर महीने भीम सिंह के वेतन से कटौती करनी थी और उसे एलआईसी को भेजना था। इसलिए, डीईएसयू के पास एलआईसी की ओर से भीम सिंह से प्रीमियम





तटस्थ उद्धरण

2021: सीजीएचसी: 7477

एकत्र करने का निहित अधिकार था। इस प्रकार, भीम सिंह द्वारा प्रीमियम का वैध भुगतान किया गया था। एलआईसी की ओर से प्रीमियम एकत्र करने का डीईएसयू का अधिकार निहित है। किसी भी मामले में, एलआईसी की ओर से भीम सिंह से प्रीमियम एकत्र करने का डीईएसयू का स्पष्ट अधिकार था। जहां तक भीम सिंह का सवाल है तो डीईएसयू एलआईसी की ओर से प्रीमियम वसूलने वाला एजेंट था।

14.बीमा अनुबंध का निर्माण एलआईसी और डेसू के कर्मचारी के बीच होता है। एलआईसी द्वारा यह योजना पूरी तरह से व्यावसायिक कारणों से शुरू की गई है, न कि किसी संगठन में काम करने वाले कर्मचारी को दिए जाने वाले बीमा के किसी विशेष लाभ के लिए। हालांकि डेसू द्वारा एलआईसी को लिखे गए प्रोफॉर्मा पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि डेसू अपने कर्मचारी का एजेंट होगा, एलआईसी का नहीं, लेकिन एलआईसी और डेसू के बीच इस समझौते के बारे में कर्मचारी को सूचित या जानकारी नहीं दी गई। जहां तक कर्मचारी का सवाल है, उन्हें बताया गया है कि एलआईसी और डेसू के बीच हुए समझौते के तहत हर महीने उनके वेतन से प्रीमियम काटा जाएगा और डेसू द्वारा एलआईसी को भेजा जाएगा। इसलिए डेसू





तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

के कर्मचारी के लिए, डेसू ने एलआईसी के एजेंट के रूप में अपनी ओर से प्रीमियम एकत्र करने और फिर एलआईसी को भुगतान करने का निहित अधिकार दिया था। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो। भीम सिंह को इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि डेसू एलआईसी के एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। बल्कि योजना की प्रकृति के अनुसार, कर्मचारी को यह विश्वास दिलाया गया कि यह नियोक्ता का कर्तव्य है, हालांकि एलआईसी द्वारा उसे इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से हर महीने प्रीमियम की कटौती करके उसे एकत्र करना और एक समेकित चेक के माध्यम से एलआईसी को भेजना। अब, यह कहा जा सकता है कि डेसू अपने प्रमुख यानी एलआईसी के एजेंट के रूप में उत्तरदायी नहीं होगा और यह प्रीमियम एकत्र करने और कर्मचारी को बिना किसी लागत के एलआईसी को भेजने की सेवा भी प्रदान कर रहा था। एलआईसी और डेसू के बीच क्या व्यवस्था है, इससे कर्मचारी का कोई लेना-देना नहीं है। इन परिस्थितियों में डेसू को अधिनियम के तहत शायद उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि क्या भीम सिंह की विधवा को इस कानूनी पचड़े में छोड़ा जा सकता है, जबकि यह स्पष्ट है कि जहां तक भीम सिंह का सवाल है,





तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

उन्होंने प्रीमियम का भुगतान किया था और प्रीमियम का समय पर भुगतान न करना एलआईसी यानी डेसू के एजेंट की गलती थी। इन परिस्थितियों में एलआईसी को भीम सिंह द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के तहत अपने दायित्व से गलत तरीके से मुक्त किया गया था.....”

21. उपरोक्त सिद्धांतों को इस मामले में लागू करते हुए, जहाँ निगम ने, जैसा कि ऊपर पाया गया है, श्री विनेश्वर कुमार को उक्त पॉलिसी धारक के साथ अपनी ओर से कार्य करने की अनुमति दी है और उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह उसकी ओर से कार्य कर रहा है। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में निगम कानूनी रूप से उसके कार्य से बंधा हुआ है और अपनी देयता से बच नहीं सकता है।

22. जहां तक श्री अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत माननीय न्याय दृष्टांत **हर्षद जे. शाह और अन्य बनाम एल.आई.सी. ऑफ इंडिया और अन्य (सुप्रा)** के अनुसरण करने का प्रश्न है, तो प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियां भिन्न माना जाएगा, जैसा कि उक्त मामले में, 05.12.1962 को एक नियुक्ति आदेश दिया गया था और निगम के एजेंट को उसकी ओर से प्रीमियम एकत्र करने से स्पष्ट रूप से



तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

प्रतिबंधित करने वाली एक शर्त थी। चूंकि निगम इस मामले में ऐसा कोई आदेश पेश करने में विफल रहा है, जिससे यह पता चले कि उसके उक्त एजेंट को उसकी ओर से प्रीमियम एकत्र करने से प्रतिबंधित किया गया था, इसलिए निगम ने इस मामले में ऐसा कोई आदेश पेश नहीं किया है, जिससे यह पता चले कि उसके एजेंट को उसकी ओर से प्रीमियम एकत्र करने से प्रतिबंधित किया गया था। इसलिए, उसमें निर्धारित सिद्धांत उसके लिए किसी काम के नहीं होंगे।

23. उपर्युक्त किये गये विवेचन के आधार पर विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि निगम की ओर से प्रीमियम एकत्रित करने वाले उक्त एजेंट का कार्य, उक्त प्राधिकरण के तहत बीमित व्यक्ति को भुगतान करने के लिए विधिक दायित्व का गठन करता है ।

24. परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है और सिविल अपील संख्या 30-ए/07 में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़, कोरिया द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की जाती है और वादी के दावे को डिक्री किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।



तटस्थ उद्धरण

2021:सीजीएचसी: 7477

25. तदनुसार डिक्री तैयार की जाती है।

सही / -
(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधिपति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

